

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत आवर्त अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनीय महंगाई भत्ता

निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों को स्तम्भ-3 में सन्दर्भित शासनादेशानुसार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2001=100 के अंक 301 के ऊपर वृद्धि होने पर महंगाई भत्ते को ₹ 20 प्रति अंक की दर से समायोजित किये जाने का प्राविधान है। तदनुसार जनवरी, 2020 से जून, 2020 के औसत सूचकांक 329 पर दिनांक : 01-10-2020 से 31-03-2021 तक की अवधि के लिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ता निम्नवत होगा :-

$$(329-301) \times 20 = 560.00$$

अनुसूचित नियोजनों की तालिका

क्र० सं०	अनुसूचित नियोजन का नाम	अधिसूचना संख्या एवं दिनांक	अधिसूचना में उल्लिखित सभी श्रेणी के कर्मचारियों को देय परिवर्तनीय महंगाई भत्ता ₹
(1)	(2)	(3)	(4)
1	वाणिज्य अधिष्ठानों और उत्तराखण्ड में दुकानों के नियोजन	309 /VIII / 19-228 (श्रम) / 2001 —पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	560.00
2	सड़कों के निर्माण या उन्हें बनाये रखने या निर्माण संक्रियाओं में नियोजन	310 /VIII / 19-228 (श्रम) / 2001 —पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	560.00
3	पत्थर तोड़ने या पत्थर कूटने में नियोजन।	311 /VIII / 19-228 (श्रम) / 2001 —पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	560.00
4	चिकन के कार्य में नियोजन।	तदैव	560.00
5	दियासलाई उद्योग में नियोजन।	तदैव	560.00
6	आइसकैन्डी / आईसक्रीम विनिर्माणशालाओं में नियोजन	तदैव	560.00
7	बेकरी और बिस्कुट विनिर्माणशालाओं में नियोजन	तदैव	560.00
8	बर्फ विनिर्माणशालाओं में नियोजन	तदैव	560.00
9	एस्बेस्टस सीमेंट कारखानों और अन्य सीमेंट उत्पाद विनिर्माणशालाओं में नियोजन	तदैव	560.00
10	लाण्ड्री या धुलाई अधिष्ठानों में नियोजन	तदैव	560.00
11	जिल्दसाजी में नियोजन।	तदैव	560.00
12	कोल्ड स्टोरेज में नियोजन।	तदैव	560.00
13	पाटरी सिरेमिक्स या रिफरैक्ट्रीज में नियोजन	तदैव	560.00

14	रबर की विनिर्माणशाला और रबर उत्पादन (जिसके अन्तर्गत टायर और दयूब भी हैं) के उद्योग में नियोजन	312 / VIII / 19-228(श्रम) / 2001-पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	560.00
15	प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पादन के उद्योग में नियोजन	तदैव	560.00
16	मिष्ठान उद्योग में नियोजन	तदैव	560.00
17	वासित पेयों (एस्टेट ड्रिंक्स) के विनिर्माण में नियोजन	तदैव	560.00
18	फलों के रसों की विनिर्माणशाला में नियोजन	तदैव	560.00
19	परतदार लकड़ी (प्लाईवुड) के उद्योग में नियोजन	तदैव	560.00
20	पेट्रोल और डीजल आयल पम्प में नियोजन	तदैव	560.00
21	डेरी और मिल्क डेरीज में नियोजन	तदैव	560.00
22	सिले सिलाए कपड़ों की विनिर्माणशाला में नियोजन	तदैव	560.00
23	बांध तटबन्ध के निर्माण और अनुरक्षण सिचाई परियोजनाओं, कुओं और तालाबों की खुदाई में नियोजन	तदैव	560.00
24	प्राईवेट क्लीनिक और चिकित्सा सामान की प्राईवेट दुकानों में नियोजन	तदैव	560.00
25	फाउण्ड्री उद्योग में नियोजन	तदैव	560.00
26	धातु उद्योग में नियोजन	तदैव	560.00
27	टिन प्लेट शेपिंग और टिन प्रिंटिंग उद्योग में नियोजन	तदैव	560.00
28	ऐसे अभियंत्रण उद्योग में नियोजन जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हो।	तदैव	560.00
29	उन समस्त रजिस्ट्रीकृत कारखानों में नियोजन, जिनका उल्लेख पहले नहीं किया गया है।	तदैव	560.00
30	कपड़ा छपाई में नियोजन	313 / VIII / 19-228(श्रम) / 2001-पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	560.00
31	क्लबों में नियोजन	314 / VIII / 19-228(श्रम) / 2001-पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	560.00

(3)

32	निजी मुद्रणालयों में नियोजन	315 / VIII / 19-228(श्रम) / 2001 —पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	560.00
33	लोक मोटर परिवहन में नियोजन	316 / VIII / 19-228(श्रम) / 2001 —पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	560.00
34	उत्तराखण्ड में यांत्रिक परिवहन कर्मशाला	तदैव	560.00
35	उत्तराखण्ड में ऑटोमोबाइल रिपेयर्स के नियोजन	तदैव	560.00
36	सिनेमा उद्योग में नियोजन।	317 / VIII / 19-228(श्रम) / 2001 —पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	560.00
37	सिलाई उद्योग में नियोजन	318 / VIII / 19-228(श्रम) / 2001 —पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	560.00
38	एलोपैथिक, आर्युवेदिक और यूनानी फार्मसियों में नियोजन	319 / VIII / 19-228(श्रम) / 2001 —पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	560.00
39	छोटे मिनियेचन बल्व एवं कांच उत्पादों के निर्माण उद्योग (चश्मे की शीशे और कांच की छूड़ी बनाने के उद्योग को छोड़कर) में नियोजन।	320 / VIII / 19-228(श्रम) / 2001 —पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	560.00
40	धर्मशालाओं में नियोजन	321 / VIII / 19-228(श्रम) / 2001 —पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	560.00
41	निजी पुस्तकालयों में नियोजन	322 / VIII / 19-228(श्रम) / 2001 —पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	560.00
42	होटल और रेस्टोरेन्ट उद्योग में नियोजन	323 / VIII / 19-228(श्रम) / 2001 —पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	560.00
43	प्राईवेट कोचिंग कक्षाओं, प्राईवेट विद्यालयों जिनमें नर्सरी स्कूल और प्राईवेट प्राविधिक संस्थाओं में नियोजन।	324 / VIII / 19-228(श्रम) / 2001 —पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	560.00
44	चाय बागान में नियोजन	325 / VIII / 19-228(श्रम) / 2001 —पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	560.00
45	हौजरी उद्योग में नियोजन	326 / VIII / 19-228(श्रम) / 2001 —पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	560.00
46	किसी चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल में	327 / VIII / 19-228(श्रम) / 2001 —पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	560.00
47	किसी तेल मिल में नियोजन	तदैव	560.00
48	किसी रोलर आटा मिल में	तदैव	560.00

(4)

49	वानिकी (फारेस्ट्री) लट्ठा बनाने और काष्ट कार्य जिसके अन्तर्गत किसी अन्य वन्य उपज का संग्रहण और उसे मण्डी में ले जाना भी है में नियोजन	328 / VIII / 19-228(श्रम) / 2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	560.00
50	ईट भट्टा उद्योग में नियोजन	329 / VIII / 19-228(श्रम) / 2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	560.00
51	काष्ट कार्य और फर्नीचर में नियोजन	330 VIII / 19-228(श्रम) / 2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	560.00
52	तम्बाकू निर्माण में नियोजन	331 / VIII / 19-228(श्रम) / 2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	560.00
53	कालीन बुनाई के नियोजन	332 / VIII / 19-228(श्रम) / 2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	560.00
54	कपड़े धोने या प्रसाधन के साबुन, सिलिकेट या साबुन के चूर्ण या प्रक्षालक के निर्माण में नियोजन	333 / VIII / 19-228(श्रम) / 2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	560.00
55	ऊनी कम्बल बनाने वाले अधिष्ठान में नियोजन	तदैव	560.00
56	खाण्डसारी में नियोजन	तदैव	560.00
57	हस्तकरघा उद्योग एवं शक्ति चालित करघा उद्योग में नियोजन	334 / VIII / 19-228(श्रम) / 2001 -पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	560.00

(दीप्ति सिंह)

श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड,  
हल्द्वानी।कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, श्रम भवन, नैनीताल रोड हल्द्वानी।

संख्या : ३८०१

/ 4-01 / 13

दिनांक : १८-४-२०२०

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधीनस्थ अधिकारियों को सूचित कर, प्रतिपालन कराने का कष्ट करें तथा श्रमिकों एवं सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मांगे जाने पर उन्हें उपलब्ध करा दें।

- 1- उप श्रम आयुक्त, देहरादून, 298, हिमगिरी बिहार, अजबपुर खुर्द, देहरादून।
- 2- उप श्रम आयुक्त, हल्द्वानी, श्रम भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी।
- 3- उप श्रम आयुक्त, हरिद्वार, एस०जी०ओ० परिसर, निकट वाणिज्य कर कार्यालय, रोशनाबाद, हरिद्वार।
- 4- उप श्रम आयुक्त, ऊधमसिंह नगर, विकास भवन परिसर, ऊद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।

(दीप्ति सिंह)

श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड,  
हल्द्वानी।